कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोंण्डा वन प्रभाग,गोंण्डा।

पत्रांक 824/33–1, दिनांक, गोण्डा, सितम्बर21 /2023

सेवा में,

प्रादेशिक प्रबन्धक (खुदरा)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, जानकी नगर गोण्डा।

विषयः– जनपद गोण्डा बी0पी0सी0एल0 द्वारा उतरौला–फैजाबाद–प्रयागराज मार्ग एस0एच0–09 के किलोमीटर 53 (चैनेज न0–52.249) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0–1299 ग्राम बहदुरा तहसील तरबगंज जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.223146 हे0 (Entry area= 0.0611646 Ha+ exit area=0.0833894 Ha+Separator Island=0.078592 Ha Total area is 0.223146 Ha) संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 38 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या 8 बी/यू0पी0/06/120/2023/एफ0 सी0/326 दिनांक 25..08..2023 पर पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 556/11सी–एफ0पी0/यू0पी0/अप्रोच/146931/2021 दिनांक 30.08.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति पत्र आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करें, जिसके अनुसार शर्त संख्या 2,3, एंव 4,5 पर गोण्डा वन प्रभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित धनराशि जमा करने बावत वांछित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर संदर्भित आदेश के प्रत्येक बिन्दु का अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर हार्ड कॉपी सम्बन्धित अभिलेखों सहित 4 प्रतियो में इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

क्र0सं0	शर्त संख्या व विवरण	धनराशि रूपये
1	2	3
1	**क्षतिपूरक वनीकरण शर्त संख्या 2एवं 3** प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 0.45 हे0 आरक्षित वनभूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि लिया जायेगा ।	5,22,884.00
2	**एन0पी0वी0 धनराशि शर्त संख्या 5एवं 6** शर्त संख्या 4 एवं 5 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0 संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगीं। भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली के पत्रांक सं0–5–3/2011–एफ0सी0(वि0ओ0एल0–1) दिनांक 06.01.2022 द्वारा रिवाइज वर्तमान एन0पी0वी0 की दर एन0पी0वी0 की दर के अनुसार खुले वन के लिए ईको क्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 9,57,780 लाख प्रति हक्टेयर हेतु अर्थात,(0.223146×9,57,780.00=2,13,725.00) से आंकलित	2,13,725.00
योग	**सात लाख छत्तीस हजार छः सौ नौ रूपये मात्र**	7,36,609.00

उपरोक्त धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एंव अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जाएगी। कृपया उक्त जमा धनराशि का उक्त खाते में भुगतान करें एंव पावती की मूल रशीद (जमा की गयी धनराशि ई–पोर्टल की रशीद) अनुपालन आख्या के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रत्येक बिन्दु की अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर पॉच प्रतियों में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या..................../उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2–मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0 लखनऊ।
3–वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0 गोण्डा।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।